

प्रेस नोट दिनांक 18.09.2020

थाना पचदेवरा जनपद हरदोई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 372/2020 धारा 302 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्ता सुनीता पत्नी सन्तोष यादव निवसी ग्राम घसा थाना पचदेवरा जनपद हरदोई को आज दिनांक 18.09.2020 को समय 06.30 बजे सहुआपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता सुनीता पत्नी सन्तोष यादव का अवैध सम्बन्ध गाँव के श्यामसिंह पुत्र विद्यालाल से लगभग 09 वर्षों से चल रहा था। इसी बात को लेकर सन्तोष यादव अपनी पत्नी सुनीता को डाटता फटकारता था। तो सुनीता व उसके प्रेमी श्यामसिंह को नागुजार लगती थी जिससे तंग आकर सन्तोष यादव अपने घर न रहकर अपनी बहन के घर अल्हागंज जनपद शाहजहाँपुर में रहता था दिनांक 16.08.2020 को समय करीब 04.00 बजे शाम अपने गाँव ग्राम घसा आया था। सुनीता से वाद-विवाद होने लगा तभी सुनीता अपने प्रेमी श्यामसिंह को बुला लिया और सुनीता व श्यामसिंह ने मिलकर सन्तोष यादव को सिर पर लाठी डण्डो से मारकर हत्या कर दी थी। मौके पर ही सन्तोष यादव की मृत्यु हो गयी थी।

नाम व पता अभियुक्ता

सुनीता पत्नी सन्तोष यादव निवसी ग्राम घसा थाना पचदेवरा जनपद हरदोई

बारामदगी

01 अदद लाठी

गिरफ्तारी करने वाले अधि0/कर्म0-

1. एसओ रामबचन भारती थाना पचदेवरा जनपद हरदोई
2. एसआई आदित्या प्रताप सिंह थाना पचदेवरा जनपद हरदोई
3. का0 किरेन्द्र सिंह थाना पचदेवरा जनपद हरदोई
4. का0 अरुण साहू थाना पचदेवरा जनपद हरदोई
5. का0 आशुतोष यादव थाना पचदेवरा जनपद हरदोई
6. म0का0 रीनू रानी थाना पचदेवरा जनपद हरदोई
7. म0का0 रीतिका थाना पचदेवरा जनपद हरदोई